भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1923

उत्तर दिनांक - 08/08/2024 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता का विस्तार

1923. श्री मुजीबुल्ला खान

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता विस्तार और आगामी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार देश में, विशेषकर हाल के वैश्विक घटनाक्रमों के मद्देनजर, परमाणु विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) निर्माणाधीन और मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने पर, वर्तमान स्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता 8180 मेगावाट को वर्ष 2031-32 तक 22480 मेगावाट तक बढ़ाया जाना निर्धारित है। इस संबंध में, गुजरात के काकरापार में केएपीएस 3 व 4 (2 X 700 मेगावाट) के पूरा होने के साथ ही वर्ष 2023-24 में 1400 मेगावाट की क्षमता और जुड़ गई और इस प्रकार यह क्षमता 6780 मेगावाट से बढ़कर 8180 मेगावाट हो गई। वर्तमान में, 7300 मेगावाट की कुल क्षमता वाले नौ रिएक्टर निर्माण/कमिशनन के अधीन हैं और 7000 मेगावाट की क्षमता वाले दस रिएक्टर पूर्व-परियोजना गतिविधियों के अधीन हैं।

(ख) नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं अर्थात् स्थल चयन, अभिकल्प, निर्माण, कमिशनन एवं प्रचालन में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का अभिकल्प अतिरिक्तता तथा विविधता के संरक्षा सिद्धांतों को अपनाते हुए किया जाता है और अतिव्यापी गहन संरक्षा सिद्धांत का अनुपालन करते हुए 'विफल-संरक्षित (फेल-सेफ)' अभिकल्प विशेषताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता मानकों के साथ किया जाता है और प्रचालन उच्च योग्यता-प्राप्त, प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त कर्मियों द्वारा सुस्थापित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किया जाता है। एक मजबूत नियामक तंत्र मौजूद है। एनपीसीआईएल और नियामक प्राधिकरण, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) दोनों के द्वारा आवधिक संरक्षा समीक्षा की जाती है। संरक्षा के संबंध में, सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त उपाय किए गए हैं। ये उपाय आवधिक लेखा परीक्षा और समीक्षा के अधीन हैं और आवश्यक उन्नयन क्रियान्वित किए जाते हैं ताकि मौजूदा और आगामी संरक्षा चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान किया जा सके।

भारत "नाभिकीय संरक्षा पर सम्मेलन" (सीएनएस) का पक्षकार है। सीएनएस प्रत्येक तीन वर्ष में नाभिकीय कार्यक्रम के सभी पहलुओं की समीक्षा करता है। सीएनएस समीक्षा के दौरान, शेष विश्व के संबंध में भारत के संरक्षा पहलुओं का आकलन किया गया और यह संतोषजनक पाया गया।

*****